

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी असनावर

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति हरबिन्दर डी. सिंह आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 24/प्रार्थना पत्र/2019

गीताबाई पत्नि दोलतराम जाति भील निवासी अकवासा तहसील असनावर

बनाम

... प्रार्थीया

1. अमरलाल पुत्र उदा जाति भील निवासी अकवासा तहसील असनावर
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील असनावर

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :- श्री यादवेन्द्र तिवारी अभिभाषक प्रार्थीया

-:: निर्णय ::-

दिनांक 30.12.2019

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम अकवासा तहसील असनावर की खाता संख्या 15/38 की खसरा नम्बर 81 की 1.7829 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसका प्रार्थीया अनवरत रूप से उपयोग करती चली आ रही है । प्रार्थीया को कृषि भूमि पर आने जाने व अन्य कार्यों के लिए अपनी कृषि भूमि पर खसरा नम्बर 82 व 83 के मध्य जो कि प्रारम्भ से ही तीनधार से बकानी जाने वाले मेगा हाईवे से होकर वादीनी की भूमि तक आता है का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं है किन्तु प्रार्थीया अपनी आराजीयात पर उक्त रास्ते से ही आती जाती एवं अन्त्य कार्य करती है । अप्रार्थीगण द्वारा अकारण ही उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है एवं प्रार्थीया के कहने पर भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, आमादा फसाद है । उक्त आराजीयात पर जाने के लिए व अन्य कृषि कार्यों हेतु ट्रेक्टर, बेलगाड़ी लाने ले जाने के लिए केवल यही एक रास्ता था जो कि प्रतिवादी द्वारा बन्द कर दिया है । अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को नहीं खोला गया तो प्रार्थीया को सारवान नुकसान होगा होने की संभावना है । प्रार्थीया उक्त रास्ते को खुलवाने की एवज में डी.एल.सी. रेट की दुगनी चुकाने का तैयार है जिससे रास्ता प्राप्त हो सके । अतः प्रतिवादीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 82 व 83 के मध्य से होकर आने जाने का रास्ता प्रदान करें व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करने की कृपा करें ।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया एवं रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई ।

... 2 पर

ह. अ. व.

तहसीलदार असनावर के पत्रांक 516 दिनांक 10.12.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई । हमने बहस वकील प्रार्थिया सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया ।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार असनावर प्रार्थिया गीताबाई के शामलाती खसरा नम्बर 81 रकबा 1.7829 हेक्टर पर पहुंच मार्ग राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है । तथा खसरा नम्बर 81 पर आने जाने हेतु ग्राम अकवासा के खसरा नम्बर 111 गैर मु. सड़क से होते हुये खसरा नम्बर 293/86 रकबा 1.7703 किस्म गै.मु.पहाड़ खाता सरकार से गुजरते हुये खसरा नम्बर 82 व 83 के बीच की मेर पर चलकर खसरा नम्बर 81 तक पहुंचा जा सकता है । अमरलाल के खसरा नम्बर 82 पर पहुंचने से पूर्व खसरा नम्बर 293/86 बीच में आता है जो सरकारी खाता सरकार है । अतः खसरा नम्बर 293/86 जो कि सरकारी खाता (गै.मु.पहाड़) है में से रास्ता दिया जाना हम उचित नहीं सकझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया जाता है ।



निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

30.12.19  
उपखण्ड अधिकारी,  
असनावर  
उपखण्ड अधिकारी  
असनावर